

Making one person in every family digitally literate is one of the integral components of the Prime Minister's vision of a 'Digital India'. National Digital Literacy Mission (NDLM) or Digital Saksharta Abhiyan (DISHA) envisages provision of digital literacy training to 52.5 Lakh persons, one in every eligible household of the country. Anganwadi workers, ASHA workers and authorized ration dealers have also been included in the scheme. The objective is to impart basic ICT skills which would enable the citizen to use IT and related applications and participate actively in the democratic process and further enhance opportunities for their livelihood.

Levels of Training	Training Duration	Training Fee
<ul style="list-style-type: none"> Level 1 – Appreciation of Digital Literacy: Training on Digital Devices, Email & Working on Internet Level 2 – Basics of Digital Literacy: Training on IT Literacy at Higher Level including eGovernance Services being offered to the citizens 	<ul style="list-style-type: none"> Level 1: 20 Hours (Minimum 10 Days and Maximum 30 Days) Level 2: 40 Hours (Minimum 20 Days and Maximum 60 Days) 	<ul style="list-style-type: none"> Level 1: <ul style="list-style-type: none"> For SC/ ST/ BPL households, no training fee payable For General and OBC candidates, course fee of Rs. 125 applicable Level 2: <ul style="list-style-type: none"> For SC/ ST/ BPL households, no training fee payable For General and OBC candidates, course fee of Rs. 250 applicable

Eligibility Criteria:

Only one person from an IT illiterate family will be eligible to participate under this scheme.

- Level 1:** Illiterate and up to 7th standard pass
- Level 2:** At least 8th standard pass

Age: 14 to 60 years at the time of registration (both the years inclusive)

Registration: Please bring your Aadhaar number at the time of registration.



डिजिटल साक्षरता अभियान

हर घर इ-साक्षर

दिशा

देश के हर परिवार में एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना, माननीय प्रधानमंत्री के "डिजिटल भारत" अभियान का एक अभिन्न अंग है। नेशनल डिजिटल लिटरसी मिशन (एनडीएलएम) या डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) में देश के हर उपयुक्त घर से 52.5 लाख व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता व अधिकृत राशन डीलरों को भी इस स्कीम में जोड़ा गया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रशिक्षु की जरूरत के अनुसार प्रासंगिक बुनियादी आई टी कौशल प्रदान करना है। इस अभियान का उद्देश्य बुनियादी आई सी टी कौशल प्रदान करना है जिससे नागरिक आई टी संबंधित अनुप्रयोगों का उपयोग कर पाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें साथ ही अपनी आजीविका के अवसरों को बढ़ा सकें।

प्रशिक्षण के स्तर	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण फीस
स्तर 1 - डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन व्यक्ति को आईटी साक्षर बनाना ताकि वह कंप्यूटर/डिजिटल डिवाइस (जैसे टैबलेट, मोबाइल इत्यादि) का उपयोग कर सके, ई-मेल भेज और प्राप्त कर सके और सूचना के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकें।	20 घंटे (कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 30 दिन)	<ul style="list-style-type: none">■ अनुसूचित जाति/जनजाति/बीपीएल परिवारों के लिए निशुल्क।■ आंगनवाड़ी, आशा और अधिकृत राशन डीलरों के लिए निशुल्क।■ सामान्य उम्मीदवार के लिए 125 रुपए की फीस।
स्तर 2 - डिजिटल साक्षरता के बुनियादी उच्च स्तर पर आई सी टी साक्षरता देने के अलावा, राज्यों, भारत सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-गवर्नेंस सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षित करना।	40 घंटे (कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन)	<ul style="list-style-type: none">■ अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए निशुल्क।■ सामान्य उम्मीदवार के लिए 250 रुपए की फीस।

योग्यता का मानदंड:

आई टी निरक्षर परिवार ही इस परियोजना के अंतर्गत भाग लेने के लिए योग्य हैं।

- स्तर 1: आई टी निरक्षर – निरक्षर से 7वीं कक्षा तक
- स्तर 2: आई टी निरक्षर – कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण

आयु: रजिस्ट्रेशन के समय 14 से 60 वर्ष तक की आयु

रजिस्ट्रेशन: रजिस्ट्रेशन के समय कृपया अपना आधार नम्बर अवश्य लाएं।



e-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED



Department of Electronics and Information Technology
Ministry of Communications & Information Technology,
Government of India

सत्यमेव जयते